

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02


अताराकित प्रश्न संख्या - 180

दिनांक: - 28.02.2019


प्रश्नकर्ता: - श्री महेन्द्र गोयल

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

|     | प्रश्न   | उत्तर   |
|-----|--|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग का सेक्टर-4, रोहिणी में क्षेत्रीय कार्यालय है;                                      | जी हां।   |
| (ख) | इस कार्यालय की भूमि पर किसका मालिकाना हक है ;  | इस कार्यालय की भूमि पर समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का मालिकाना हक है।  |
| (ग) | क्या यह भी सत्य है कि इस कार्यालय में काफी हिस्सा खाली पड़ा हुआ है;  | जी हां। चूंकि<br>1. किसी भी विद्यालय के स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त खुली भूमि रखना आवश्यक है।<br>2. डीडीए ने संपूर्ण भूमि को दो भागों में यथा ; प्राथमिक विद्यालय तथा खेलने के स्थान के लिए आवंटित किया था।<br>अतः यह हिस्सा खाली रखना आवश्यक है। |
| (घ) | इस कार्यालय की कुल जमीन, निर्मित हिस्से का और खाली भूमि के प्रतिशत का विवरण क्या है;                                     | मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर की कुल जमीन 3899.14 वर्ग मीटर है। निर्मित भाग 604.64 वर्ग मीटर है जो कि कुल भूमि का 16 प्रतिशत है तथा खाली भाग 3294.50 वर्गमीटर जो कि कुल भूमि का 84 प्रतिशत है।  |
| (ङ) | इस कार्यालय की भूमि के मालिकाना हक वाले विभाग का नाम व उससे संबंधित अधिकारियों के नाम एवं संपर्क सूत्र का विवरण क्या है; | इस कार्यालय की भूमि पर समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार का मालिकाना हक है तथा अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है -<br>जिला समाज कल्याण अधिकारी/संपदा अधिकारी (उत्तर पश्चिम-1), समाज कल्याण विभाग, सैक्टर-4, विश्राम चौक, रोहिणी-110085<br>फोन नं.- 011.27040844                      |

  
Dy. Director (FAS)  
Dept of Social Welfare  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi-110002

|     |  |  |
|-----|--|--|
| (च) | विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लिए बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन लेने कब से आरंभ किए जाएंगे ; | रिठाला विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत विभाग द्वारा बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन 17.10.2018 से क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से लिए जा रहे हैं। |
| (छ) | क्या यह सत्य है कि विभाग अनाथ बच्चों को पेंशन देने की योजना बना रहा है;                            | वर्तमान में इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।  |
| (ज) | यदि हाँ, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है?   | उपरोक्त 'छ' के अनुसार लागू नहीं होता।  |

  
 Dy. Director (P&S)  
 Dept. of Social Welfare  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
 New Delhi-110002